

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- | | |
|---|---|
| (1) आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून। | (2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड। |
| (3) सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग,
देहरादून/हल्द्वानी। | (4) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड। |

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 3 जुलाई, 2013

विषय: राज्य के आपदा प्रभावित परिवारों, जिनके गांव पूर्णरूप से सड़क मार्गों से **Cut-off** हो गये हैं को माह जुलाई, 2013 में प्रति 05 सदस्यों हेतु निःशुल्क खाद्य सामग्री ट्रान्सपोर्टेशन सहित उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में आयी दैवीय आपदा के कारण आपदा प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश दिनांक 01.07.2013 में निम्न निर्णय पारित किये गये हैं।

1- आपदा प्रभावित परिवारों, जिनके गांव पूर्णरूप से सड़क मार्गों से Cut-off हो गये हैं, को माह जुलाई, 2013 में प्रति 05 सदस्यों पर 15 कि०ग्रा० चावल, 15 कि०ग्रा० आटा, 05 कि०ग्रा० दाल, 03 कि०ग्रा० चीनी, 01 लीटर तेल, मसाले, नमक, माचिस एवं 10 लीटर कैरोसीन तेल जिसमें ट्रान्सपोर्टेशन का व्यय भी सम्मिलित है, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाय।

2- उक्त मद में अन्तर्निहित व्यय का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जायेगा।

उक्त पारित आदेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उपरोक्त बिन्दु सं० 01 एवं 02 में निहित आदेशों के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :-

1- भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.06.2013 द्वारा राज्य में आयी दैवीय आपदा के दृष्टिगत 2000 मी०टन गेहूँ एवं 2000 मी०टन चावल Applicable Economic Cost पर आवंटित किया गया है। उपरोक्त आवंटित गेहूँ भारतीय खाद्य निगम से लगभग ₹ 2284.38 प्रति कुन्तल, समस्त करों सहित, की दर से राज्य सरकार को प्राप्त होगा। चूंकि आपदा प्रभावित परिवारों को आटा उपलब्ध कराया जाना है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आवंटित गेहूँ से आटा निर्मित करने पर एक कुन्तल आटे का अनुमानित मूल्य लगभग ₹ 2502.00 आयेगा। इसके विपरीत वर्तमान में खुले बाजार में आटे का मूल्य लगभग ₹ 2000.00 प्रति कुन्तल होने के फलस्वरूप आवंटित गेहूँ के स्थान पर खुले बाजार से आटा

क्रमशः..... 2

कय कर वितरित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने सम्भाग में आयी दैवीय आपदा से सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा की गयी मांग के अनुसार ही तत्काल खुले बाजार से आटे का कय कर इसे 15 किलोग्राम भर्ती वाले बैग में सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि ऐसे थैलों में प्रेषित किया जाये, जिसमें आटे की गुणवत्ता प्रभावित न हों। यह भी निर्देशित किया जाता है कि किसी भी दशा में कय किये जाने वाले आटे का मूल्य प्रति कुन्टल रूपये 2000 से कदापि अधिक न हो।

प्रकरण आपदा ग्रस्त प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से उपरोक्त निर्णय लिया गया है, अतः आटा कय करने हेतु निविदा कराने की प्रक्रिया पर शिथिलता प्रदान की जाती है।

2- भारत सरकार द्वारा Applicable Economic Cost पर आवंटित 2000 मी०टन चावल की मात्रा में से 500 मी०टन चावल कुमायूँ सम्भाग एवं 1500 मी०टन चावल गढ़वाल सम्भाग हेतु आवंटित करते हुये सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को निर्देशित किया जाता है कि वे जिलाधिकारियों द्वारा की गयी मांग के उपरान्त ही चावल का उठान भारतीय खाद्य निगम से कराते हुये इसे 15 कि०ग्रा० के बैग में सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3- दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को 03 कि०ग्रा० चीनी भी शासनादेश संख्या-297-13/XIX-2/38 खाद्य/2013 दिनांक 28.06.2013 के परिप्रेक्ष्य में जनपदों हेतु आवंटित चीनी की मात्रा में से ही जिला पूर्ति अधिकारी 03 किलोग्राम के पैकिंग बैग में सम्बन्धित जिलाधिकारियों को मांग के अनुसार उपलब्ध करायेंगे।

4- दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को 10 लीटर मिट्टी तेल भी सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उपरोक्त के अतिरिक्त दैवीय आपदा प्रभावित परिवारों को 05 किलोग्राम दाल, 01 लीटर खाद्य तेल, मसाले, नमक एवं माचिस भी जिलाधिकारियों द्वारा स्थानीय कय कर वितरित करायी जायेगी।

उपरोक्त क्रमांक-1 से 5 तक अंकित खाद्यान्न/अन्य सामग्री माह जुलाई, 13 में प्रति 05 सदस्यों पर ऐसी आपदा प्रभावित परिवारों को, जिनके गाँव पूर्णरूप से सड़क मार्गों से Cut-Off हो गये हैं, को निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त मदों पर आने वाले समस्त व्ययभार, ट्रान्सपोर्टेशन सहित, का भुगतान मा० मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाना है, अतएव निर्देशित किया जाता है कि क्रमांक संख्या-1 से 4 तक उल्लिखित मदों में होन वाले व्यय के सभी देयकों मय ट्रान्सपोर्टेशन सहित का सत्यापन सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों से कराकर माह अगस्त, 2013 तक प्रत्येक दशा में वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को उपलब्ध करायेंगे तथा वित्त नियंत्रक (खाद्य) द्वारा प्राप्त देयकों की प्रतिपूर्ति मा० मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त क्रमांक-5 पर उल्लिखित सामग्रियों से सम्बन्धित व्यय देयकों, मय ट्रान्सपोर्टेशन सहित, का भुगतान सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सीधे मा० मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रतिपूर्ति/प्राप्त किया जाना




क्रमशः..... 3

सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त प्रकरण पर पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था केवल माह जुलाई, 2013 के लिये ही अनुमन्य होगी।

भवदीया,



(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या **337** /13-XIX-2/51 खाद्य/2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2- सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री जी, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी उत्तराखण्ड।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराँय टॉवर, माजरा, देहरादून।
- 6- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 8- अनु सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 10- मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
- 11- वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
- 12- महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून।
- 13- सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग/कुमाँयू सम्भाग।
- ✓ 14- एनआईसी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राधा रतूड़ी),
प्रमुख सचिव।